**सर्वोच्च प्राथमिकता**

**संख्या- 2/2021/311/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015**

**प्रेषक,**

**जे0पी0सिंह-II,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

**सेवा में,**

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

**संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग** **लखनऊ: दिनांक 23 मार्च, 2021**

**विषय:-** मा0 संसद सदस्य एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों के प्रति शिष्टाचार/अनुमन्य प्रोटोकाल एवं सौजन्य प्रदर्शन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से संसदीय कार्य विभाग के संसदीय शिष्टाचार/ पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के शासनादेश संख्या-555/90-सं0शि0प0का0/17-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-18-10-2017, प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से ऑनलाईन निर्गत क्रमश: शासनादेश संख्या-05/2018/1038/90-सं0शि0प0का0/18-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-16-10-2018 एवं शासनादेश संख्या-02/2019/1155/90-सं0शि0प0का0/19-02(सं0शि0)/2015 दिनांक-22-10-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग के उक्त शासनादेशों में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिये गये थे, कि अधिकारीगण मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर कॉल रिसीव (Receive) करेंगें साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें। किन्तु उक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के वावजूद शासन के संज्ञान में यह आया है, कि मा0 संसद सदस्यों/ राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा जनहित हेतु जनपदों के अधिकारियों को फोन किये जाने पर न तो काल रिसीव की जा रही है और न ही कॉल बैक की जा रही है। उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आया है, कि अधिकारियों द्वारा अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया जाता है, कि उनके मोबाइल में मा0 सदस्यगण का नम्बर **सेव (Save)** नहीं था, इस लिए कॉल बैक नहीं की जा सकी।

अत: आपसे अनुरोध है, कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत समस्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें, कि वे अपनी तैनाती के जनपद के संसदीय/ विधान सभा क्षेत्र के सभी मा0 संसद सदस्य, लोक सभा/ राज्य सभा एवं राज्य विधान मण्डल के मा0 सदस्यगण के फोन नं0 अपने कार्यालय/ मोबाईल में **सेव (Save)** करेगें तथा शासन द्वारा पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेशों के आलोक में मा0 जनप्रतिनिधियों के फोन आने पर तत्काल कॉल **रिसीव (Receive)** करेंगें साथ ही बैठक में होने/ अनुपलब्ध होने पर कॉल की जानकारी होने के उपरान्त प्राथमिकता पर सम्बन्धित जनप्रतिनिधि को कॉल बैक करेंगें तथा उनके द्वारा जनसामान्य की समस्याओं के निराकरण हेतु दिये गये सुझावों/ अनुरोध का निस्तारण नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करेंगें।

**भवदीय,**

**जे0पी0सिंह-II**

**प्रमुख सचिव।**

क्रमश:पृ-2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या- 2/2021/311(1)/90-सं0शि0प0का0/2021-02(सं0शि0)/2015 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।

3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश ।

4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

6- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**
**पूनम त्रिवेदी,**
**विशेष सचिव एवं**
**अपर विधि परामर्शी।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।